रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 6, 1985/चैत्र 16, 1907
No. 158 NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 6, 1985/CHAITRA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

सा०का०नि० 346(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी.—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० *सा०का०नि० 213(अ)/आ०व०/चीनी, तारीख 28 मार्च, 1972 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, मद (iv) को "(iv)(क)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद

(iv)(क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)
"(ख) मुख्य राशन अधिकारी हैदराबाद।	हैदराबाद जिले में अपनी अधिकारिता के भीतर।"

[सं० 1-4/85-एसपीवाई(डी-II)]
एन०आर० बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

*सा०का०नि० 213(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी, तारीख 28-3-1972
सा०का०नि० 277(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी, तारीख 20-6-1974
सा०का०नि० 363(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी, तारीख 12-8-1974
सा०का०नि० 617(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी, तारीख 13-11-1979
सा०का०नि० 94(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी, तारीख 21-2-1983।

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 6th April, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 346(E)/Ess. Com./Sugar :—In exercise of the powers conferred by clause 15 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. *G.S.R. 213(E)/Ess. Com./Sugar, dated the 28th March, 1972, namely :—

In the Table to the said notification, item (iv) shall be re-numbered as "(iv) (a)" and after item (iv) (a) so re-numbered, the following shall be inserted, namely : —

(1)	(2)
"(b) The Chief Rationing Offieer, Hyderabad.	Within his jurisdiction in Hyderabad District,"

[No. 1-4/85-SPY(D. II)]
N.R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar.)

*G.S.R. 213(E)/Ess. Com./Sugar, dated 28-3-1972.
G.S.R. 277(E)/Ess. Com./Sugar, dated 20-6-1974.
G.S.R. 363(E)/Ess. Com./Sugar, dated 12-8-1974.
G.S.R. 617(E)/Ess. Com./Sugar, dated 13-11-1979.
G.S.R. 94(E)/Ess. Com./Sugar, dated 21-2-1983.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985